

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0**

**प्रकरण संख्या 81/2019 प्रार्थनापत्र**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956**

**उनवान**

1. श्रीमती उगमी पत्नि राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
2. श्री नानूराम पिता राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
3. श्री राधाकिशन पिता राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
4. श्री रायमल पिता राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
5. श्री लाडू पिता राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्री प्रेम पुरी पिता बरदा पुरी गोस्वामी निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
2. श्री कालू पुरी पिता बरदा पुरी गोस्वामी निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
3. श्री देवकरण पिता लादू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
4. श्री हरूणी पत्नि राजू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
5. श्री गुदड पिता मांगू कीर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
6. श्री पांचू पिता लादू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
7. श्री प्रभू पिता भागू गुर्जर निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां
8. श्री हरि पिता हजारी ढोली निवासी बावडी तहसील फूलियाकलां

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट**

**निर्णय**

**दिनांक 29.11.2019**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के ग्राम बावडी पटवार हल्का ईटडिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आ0न0 1376/246 रकबा 0.15, आ0न0 1377/249 रकबा 0.11, आ0न0 1378/1191 रकबा 0.02, आ0न0 1402/398 रकबा 0.03, आ0न0 397 रकबा 0.29, आ0न0 1018 रकबा 0.024, आ0न0 1019 रकबा 0.32, आ0न0 1020 रकबा 0.40, आ0न0 1021 रकबा 0.27, आ0न0 113 रकबा 0.27, आ0न0 1365/396 रकबा 0.16, आ0न0 196 रकबा 0.03,



आ0न0 198 रकबा 0.26, आ0न0 409 रकबा 0.25, आ0न0 852 रकबा 0.59 है0, का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कोठिया संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बावडी मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात कित्ता 16 रकबा 3.47 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस नियमानुसार प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( एम0पी0 नायक )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)